न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 37/2025 प्रार्थनापत्र

01. लक्ष्मण लाल पिता डाल चन्द जाति रेगर निवासी–निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज गुर्जर ———अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार ——उपस्थित

दिनांक– 08.09.2025

:: निर्णय ::

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद तगडिया पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि के खाता सख्या 217 के आराजी नम्बर–682/395 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0749 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता विपक्षी संख्या 01 के आराजी नम्बर–390, 399, 396 में से होकर प्रार्थी की आराजी नम्बर 682/395 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0749 हैक्टयर भूमि मे आता जाता है। जिसमे से 20 फिट चौड़ाई रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीवद्व किया गया व विपक्षी को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने, संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद तगडिया पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि के खाता सख्या 217 के आराजी नम्बर–682/395 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0749 हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 के आराजी नम्बर–390, 399, 396 किस्म बिलानाम दर्ज रेकॉर्ड भूमि हैं, जो कि आराजी नम्बर 390 तक रास्ता बसा होकर आराजी नम्बर 399 व आराजी नम्बर 396 में पगडंडी रास्ता जाता है। जिसको प्रार्थी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता सख्या 217 के आराजी नम्बर–682/395 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0749 हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं होने से व प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पूर्व से रास्ते के रूप में वर्षो से चालू होने एवं रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होने से ग्राम तगडिया के आराजी नम्बर 390 रकबा 7.5246 हैक्टयर बिलानाम भूमि में से 06 मीटर चौड़ा, 385 मीटर लम्बा रास्ता रकबा 0.2310 हैक्टयर, आराजी नम्बर 399 रकबा 4.4389 हैक्टयर बिलानाम भूमि में से 06 मीटर चौड़ा 64 मीटर लम्बा रकबा 0.0384 हैक्टयर, आराजी नम्बर 396 रकबा 3.6801 हैक्टयर बिलानाम भूमि में से 06 मीटर चौड़ा 132 मीटर लम्बा रकबा 0.0792 हैक्टयर अर्थात् कुल 06 मीटर चौड़ा व 581 मीटर लम्बा रकबा 0.3489 हैक्टयर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज करने उचित हैं।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, प्रार्थी की आराजी नम्बर–682/395 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0749 हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की बिलाना आराजी नम्बर 390 रकबा 7.5246 हैक्टयर बिलानाम भूमि में से 06 मीटर चौड़ा, 385 मीटर लम्बा रास्ता रकबा 2310 हैक्टयर, आराजी नम्बर 399 रकबा 4.4389 हैक्टयर बिलानाम भूमि में से 06 मीटर चौड़ा 64 मीटर लम रकबा 0.0384 हैक्टयर, आराजी नम्बर 396 रकबा 3.6801 हैक्टयर बिलानाम भूमि में से 06 मीटर चौड़ा 132 मीट लम्बा रकबा 0.0792 हैक्टयर अर्थात् कुल 06 मीटर चौड़ा व 581 मीटर लम्बा कुल रकबा 0.3489 हैक्टयर भू रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीक योग्य ठहरता है। अत एव

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद तगडिया पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि के खाता संख्या 217 के आराजी नम्बर–682/395 कुल किता 01 कुल रकबा 1.0749 हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की बिलानाम आराजी नम्बर 390 रकबा 7.5246 हैक्टयर बिलानाम भूमि में से 06 मीटर चौड़ा, 385 मीटर लम्बा रास्ता रकबा 0.2310 हैक्टयर, आराजी नम्बर 399 रकबा 4.4389 हैक्टयर बिलानाम भूमि में से 06 मीटर चौड़ा 64 मीटर लम्बा रकबा 0.0384 हैक्टयर, आराजी नम्बर 396 रकबा 3.6801 हैक्टयर बिलानाम भूमि में से 06 मीटर चौड़ा 132 मीटर लम्बा रकबा 0.0792 हैक्टयर अर्थात् कुल 06 मीटर चौड़ा व 581 मीटर लम्बा कुल रकबा 0.3489 हैक्टयर भूमि रास्ता के रूप मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.3486 हैक्टयर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति हेतु राजकोष मे जमा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)